



HAMIRPUR POLICE



थाना कोतवाली सदर

दिनांक 15.09.2023

चोरी के माल सहित 02 चोर गिरफ्तार

अवगत कराना हैं कि आज दिनांक 15/09/2023 को थाना कोतवाली सदर पुलिस को सूचना मिली की कलौलीतीर से हमीरपुर की तरफ ई-रिक्शा में चोरी का सामान लेकर दो-तीन लोग जा रहे है। उपरोक्त सूचना पर राठ तिराहा मोड के पास पहुंचे की सामने से आ रहे ई रिक्शा में लदा समान देखकर रोका गया तो उसमे बैठे 02 व्यक्ति भागने लगे जिन्हे घेरघार कर मौके पर ही पकड लिया गया।

पकडे हुए पहले व्यक्ति से नाम पता पुछते हुये जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम अजय पुत्र रमेश उर्फ भल्ला 18 निवासी ग्राम कुछेछा थाना कोतवाली नगर हमीरपुर बताया। भागने का कारण पूछा तो बताया कि ई रिक्शा पर लदा फर्मा व गिलैण्डर मशीन चोरी की है। जिसे मै तथा मोनू व आलोक पुत्र अनील यादव नि० कलौलीतीर एवं विकास साहू निवासी गौरा देवी हमीरपुर मिलकर नमामि गंगे निर्माणधीन पानी की टंकी जो पास से चोरी किये थे।

आज हम व मोनू बेचने के लिये जा रहे थे कि आप लोगों ने पकड लिया। दूसरे व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए तलाशी ली गयी तो अपना नाम मोनू पुत्र आशाराम उम्र 20 वर्ष निवासी कुछेछा थाना कोतवाली नगर हमीरपुर बताया और यह भी बताया कि साहब मै तथा आलोक , अजय व विकास साहू मिलकर चोरी करते है। ई रिक्शा पर लदे फर्मे व गिलैण्डर मशीन वहीं नमामि गंगे निर्माणधीन पानी की टंकी के पास से चोरी की थी। आलोक अपने घर के पास झाडी मे छुपाया था आज मै तथा अजय ई रिक्शा से सामान लादकर बेचने के लिये हमीरपुर की तरफ जा रहे थे । उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही करते हुये न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार शुदा वांछित अपराधी विवरण

1. अजय पुत्र रमेश उर्फ भल्ला उम्र 18 वर्ष निवासी ग्राम कुछेछा थाना कोतवाली नगर
2. मोनू पुत्र आशाराम उम्र 20 वर्ष निवासी कुछेछा थाना कोतवाली नगर

बरामदगी माल-

बडे फर्मे व छोटे फर्मे कुल 09 पल्ले व एक ग्लैण्डर मशीन व एक अदद ई रिक्शा सीज शुदा सि०सि०नं० 10/2023 अन्तर्गत धारा 207 MV ACT

गिरफ्तार करने वाली टीम-

01. उ०नि० दिनेश प्रसाद
02. का० सन्दीप कुमार
03. का० सौरभ कुमार
04. का० बृजेश सिंह

